



समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी
समग्र शिक्षा माध्यमिक जिला - बस्तर (छ0ग0)

क्रमांक / **Comp. No.:21460** / समग्र शिक्षा / SS-SE / 2025-26
प्रति,

जगदलपुर दिनांक 9/9/2025

- सर्व प्रधान पाठक,
पीएमश्री शा.प्रा.शाला - 1. तारापुर वि.ख.बकावण्ड
2. किलेपाल-2 वि.ख.बास्तानार/3. केशापुर वि.ख. दरमा.
4. देउरगौंव वि.ख. तोकापाल/5. कोलचुर वि.ख.बस्तर
6. बालीकोटा/7. आदर्श कंगोली वि.ख.जगदलपुर
8. बडेगुमियापाल वि.ख. लोहण्डीगुडा, जिला - बस्तर (छ0ग0).
- सर्व प्राचार्य,
पीएमश्री उ.मा.वि.शाला- 1. सेजेस घरमपुरा वि.ख. जगदलपुर
2. सेजेस करपावण्ड वि.ख.बकावण्ड/3. सेजेस बस्तर वि.ख.बस्तर
4. सेजेस लोहण्डीगुडा, जिला - बस्तर (छ0ग0).

विषय - पीएमश्री योजना अंतर्गत विद्यालयों में मानदेय पर **Music Instructor** के सेवाएं के संबंध में ।

संदर्भ - 1. राज्य परि. कार्या.का पत्र क्र / 1978/समग्र शिक्षा/पीएमश्री योजना/2025 रायपुर दिनांक 28.06.2025
2. राज्य परि.कार्या. का पत्र क्र/2007/समग्र शिक्षा/पीएमश्री योजना/2025 रायपुर दिनांक 28.06.2025

=00=

उपरोक्त संदर्भित पत्र विशयान्तर्गत लेख है कि समग्र शिक्षा के अन्तर्गत पीएमश्री योजना अंतर्गत आपकी संस्था का संचालन किया जा रहा है बस्तर जिले में पीएम श्री योजना के तहत चयनित 08 प्राथमिक शालाओं एवं 04 हायर सेकेंडरी (सेजेस) शालाओं कुल 12 शालाओं में संगीत प्रशिक्षकों की सेवाएं लिया जाना है। सेवाएं इसी शैक्षणिक सत्र (31 मार्च 2026 तक) लिया जाना है। राज्य कार्यालय से प्राप्त निर्देश के तहत पीएमश्री योजना अंतर्गत चयनित शालाओं में प्रति शाला 01 संगीत प्रशिक्षकों का निश्चित मानदेय पर चयन किया जाना है। विवरण निम्नानुसार है -

क्र.	जिले	विद्यालयों की संख्या	प्रति शिक्षकों हेतु प्रतिमाह अधिकतम वेतन राशि रु.	कुल 03 माह हेतु वेतन राशि रु.	योग
1	बस्तर	12	10000	30000	360000

उपरोक्तानुसार चयनित 12 पीएमश्री शालाओं में संगीत प्रशिक्षकों हेतु राज्य से प्राप्त निर्देश के तहत कडिका 03 के तहत न्यूनतम योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संगीत में स्नातक की डिग्री या समकक्ष डिग्री वाले शिक्षकों/प्रशिक्षकों की सेवाएं लिया जाना है एवं सम्बंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभवी को प्राथमिकता दिया जाना है तथा कडिका 7 के अनुसार विषय वस्तु विशेषज्ञ आमने-सामने साक्षात्कार पैनल में किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है तथा संगीत शिक्षकों हेतु राज्य कार्यालय द्वारा शालाओं को मानदेय आवंटित किया जायेगा व शाला स्तर से ही चयनित संगीत शिक्षकों को मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार शाला स्तर पर राज्य कार्यालय से प्राप्त निर्देशों का पालन करते हुए संगीत प्रशिक्षक का चयन करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करावें।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
bali ram baghel

Date: 09.09.2025
15:23:33
जिला शिक्षा अधिकारी सह
जिला परियोजना अधिकारी
समग्र शिक्षा, माध्यमिक
जिला - बस्तर (छ0ग0)

पृ.क्र./ **Comp. No.:21460** / समग्र शिक्षा / SS-SE / 2025-26
प्रतिलिपि -

जगदलपुर दिनांक 9/9/2025

- प्रबंध संचालक, समग्र शिक्षा छ.ग. रायपुर की ओर सादर सूचनाार्थ।
- कलेक्टर जिला बस्तर जगदलपुर की ओर सादर सूचनाार्थ।
- मुख्य कार्यालयन अधिकारी जिला पंचायत जिला बस्तर की ओर सादर सूचनाार्थ।
- जिला मिशन समन्वयक, समग्र शिक्षा प्राथमिक जिला बस्तर की ओर सादर सूचनाार्थ।
- सर्व विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी जिला - बस्तर की ओर सूचनाार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी सह
जिला परियोजना अधिकारी
समग्र शिक्षा, माध्यमिक

13. कार्यानुभव (यदि हो तो उल्लेख करें) :-

क्र.	कार्यालय का नाम	पदनाम	कार्यावधि	रिमार्क

आवेदक यदि किसी विभाग/कार्यालय में कार्यरत है तो कार्यालय प्रमुख से अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

14. क्या आपके पास आवेदित पद के लिए शैक्षणिक योग्यताएं हैं :- हाँ/नहीं

15. अन्य योग्यता का विवरण :-

16. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8. 9.
10. 11. 12.

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर
पूरा नाम
मो.नम्बर

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरे जानकारी के अनुसार सत्य है तथा इसमें दी गई जानकारी असत्य पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी मेरी स्वयं की होगी।

स्थान
दिनांक

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर
पूरा नाम
मो.नम्बर

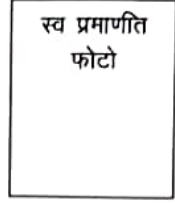
पीएमश्री शाला में संगीत प्रशिक्षक हेतु आवेदन पत्र
विद्यालय का नाम – पीएमश्री शा. प्राथमिक शाला केशापुर विकासखण्ड दरभा,
जिला – बस्तर (छ0ग0)

प्रति,

प्रधान पाठक,

.....

स्व प्रमाणीति
 फोटो



आवेदित पद का नाम

01. आवेदक का नाम (हिन्दी में
 (अंग्रेजी में)

02. पिता/पति का नाम

03. जन्म तिथि (अंको में)
 (शब्दों में)

04. आयु दिनांक 01.01.2025 की स्थिति में

05. रोजगार कार्यालय का नाम,
 जीवित पंजीयन क्रमांक/दिनांक

06. जाति (अजजा./अजा./अपिव/अना.) :-

07. लिंग (पुरुष/महिला/अन्य)

08. विवाहित/अविवाहित/विधुर/परित्यक्ता

यदि आप विवाहित हैं तो विवाह की तिथि एवं जीवित बच्चों की संख्या—

09. पत्र व्यवहार का पूरा पता

10. स्थायी निवास का पूरा पता

11. मोबाईल नम्बर

12. शैक्षणिक योग्यता का विवरण :-

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10वीं						
2	12वीं						
3	संगीत में स्नातक						
4	अन्य						

<https://bastar.gov.in>

Official Website Of District Bastar
Office Of the Collector, District Bastar (C.G.)

सूचना / जानकारी प्रस्तुतकर्ता :

नाम एवं पदनाम

फोन नम्बर :

ई मेल :

संतोष कुमार तिग्गा (प्रधान अध्यापक)

मोबाईल नम्बर:

7999957885

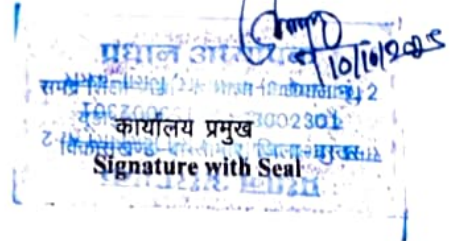
Tiggasankasho@gmail.com

संलग्नक:

1. प्रदर्शित किये जाने हेतु सूचना / जानकारी की हस्ताक्षरित कापी ।
2. प्रदर्शित किये जाने हेतु सूचना / जानकारी की साफ्ट कापी पेन ड्राईव में ।

सूचना / जानकारी प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वेबसाइट में प्रदर्शित किए जाने हेतु दी गई सूचना / जानकारी इस कार्यालय के द्वारा सत्यापित किया गया है तथा उक्त सूचना / जानकारी को IT Act 2000 and Aadhar Act 2016 (office memorandum No.10(36)/2015-EG-II(Vol-V) dated 25-3-2017 of MEIT, GOI) का पालन करते हुए सही पाया गया है। अतः उक्त सूचना / जानकारी को जिले की वेबसाइट (<https://bastar.gov.in>) में प्रदर्शित की जा सकती है।



नोट: (उपर्युक्त जानकारियाँ अनिवार्य हैं, किसी जानकारी को छोड़े जाने की अवस्था में फार्म स्वीकार्य नहीं होगा एवं सूचना / जानकारी वेब साईट में प्रदर्शित नहीं की जायेगा।)

संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रस्तुत सूचना / जानकारी की शुद्धता के प्रमाण पत्र के आधार पर, उक्त सूचना / जानकारी को जिले के वेब साईट (bastar.gov.in) पर अपलोड किया जा सकता है।

हस्ताक्षर 10/10/2020

अपर कलेक्टर,

कलेक्टर कार्यालय, बस्तर (छ.ग.)

<https://bastar.gov.in>

Official Website Of District Bastar
Office Of the Collector, District Bastar (C.G.)

दिनांक :

विभाग का नाम : शिक्षा विभाग

सूचना/ जानकारी का प्रकार : नोटिस ☐ भर्ती ☒ निविदा ☐ अन्य ☐

यदि अन्य है तो प्रकार बताए : परीक्षा

वेब साईट में सूचना/जानकारी प्रदर्शित किये जाने हेतु संक्षिप्त शीर्षक(दिया गया शीर्षक ही वेब साईट पर लिंक के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में शीर्षक दिया जाना अनिवार्य है।)

हिन्दी में : पीएम. विद्यालय हेतु संप्रति शिक्षक के लिए विज्ञापन

अंग्रेजी में :

प्रकाशन अवधि (नोट - सूचना प्रकाशन तिथि से लेकर अधिकतम एक वर्ष तक प्रदर्शित की जाएगी):

दिनांक से : दिनांक तक

सूचना/ जानकारी का संक्षिप्त विवरण : पीएम श्री प्रा. शा. केवापुर में संगीत प्रशिक्षक के चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं

कार्यालय प्रमुख :

नाम एवं पद नाम : श्री संतोष कुमार तिब्बा

फोन नम्बर : मोबाईल नम्बर 7999957885

ई मेल : ti889santosh09@gmail.com

कार्यालय प्रधान पाठक पीएमश्री प्राथमिक शाला केशापुर, विकासखण्ड दरभा
जिला - बस्तर (छ0ग0)

क्र./ 213 /पीएमश्री शाला/संगीत प्रशिक्षक/2025-26

केशापुर, दिनांक 10/10/2025

प्रेस विज्ञापित

राज्य परियोजना कार्यालय छ.ग. रायपुर के पत्र क्र./1978/समग्र शिक्षा/पीएम श्री योजना/2025 दिनांक 26.06.2025 एवं पत्र क्र./3018/ समग्र शिक्षा/पीएम श्री योजना/2025 रायपुर दिनांक 08.08.2025 एवं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा माध्यमिक जिला - बस्तर के पत्र क्रमांक/21460 दिनांक 09.09.2025 के परिपालन में समग्र शिक्षा के अन्तर्गत पीएमश्री शाला प्रधान पाठक पीएमश्री प्राथमिक शाला केशापुर विकासखण्ड दरभा, जिला - बस्तर (छ0ग0) में शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु 01 संगीत प्रशिक्षक की सेवाए लिया जाना है। जिसमें न्युनतम मानदेय राशि प्रतिमाह 10000.00 शब्दों में रु (दस हजार रु.) प्रदाय किया जावेगा। उक्त संस्था हेतु संगीत प्रशिक्षक की सेवाएं लिये जाने हेतु विज्ञापन जारी करते हुए पात्र एवं ईच्छुक आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप बस्तर जिले के अधिकारिक वेबसाईट <https://bastar.gov.in> में अवलोकन/डाउनलोड किया जा सकता है।

प्रधान पाठक
शा.प्रा.शाला केशापुर
विकासखण्ड दरभा
जिला - बस्तर

पृ.क्र./ /पीएमश्री शाला/संगीत प्रशिक्षक/2025-26 केशापुर, दिनांक 10/10/2025
प्रतिलिपि :-

1. प्रबंध संचालक, समग्र शिक्षा छ0ग0 रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर जिला बस्तर जगदलुपर की ओर सादर सूचनार्थ ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला बस्तर की ओर सादर सूचनार्थ ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी जिला बस्तर की ओर सादर सूचनार्थ ।
5. सहायक संचालक, जन संपर्क जिला बस्तर को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करने हेतु।
6. डी.आई.ओ. एन,आई.सी. बस्तर को जिले के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

प्रधान पाठक
शा.प्रा.शाला केशापुर
विकासखण्ड दरभा
जिला - बस्तर

8. अभ्यर्थी को समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों की मूल प्रति दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विज्ञापन तिथि के पूर्व अर्जित की गई शैक्षणिक योग्यता ही मान्य किये जायेंगे।
9. अभ्यर्थी के चयन हेतु निम्नानुसार पदवार शैक्षणिक योग्यता के अंको के प्रतिशत का अधिभार निर्धारित किया गया है। :-
अभ्यर्थियों के चयन हेतु अंक तालिका का विवरण :-
(कुल 100 अंक)

क्रमांक	पद का नाम	10वीं	12वीं	स्नातक
01	संगीत प्रशिक्षक	10 वीं में प्राप्त प्रतिशत का 20 प्रतिशत अंक	12 वीं में प्राप्त प्रतिशत का 30 प्रतिशत अंक	स्नातक डिग्री प्राप्तांकों के प्रतिशत 50 प्रतिशत वेटेज

10. आवश्यकता अनुसार पुलिस सत्यापन में दोषी पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
11. आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
12. विज्ञापित पदों पर चयन की प्रक्रिया विद्यालय स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा। चयन हेतु अंतिम निर्णय लेने का अधिकार चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
13. अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन मान्य नहीं किये जायेंगे तथा अमान्य /अस्वीकृत आवेदनों के संबंध में पृथक से सूचना नहीं दी जायेगी।
14. निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप छानबीन उपरांत पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची दावा आपत्ति हेतु सम्बंधित संस्था के सूचना पटल व जिले के अधिकारिक वेबसाईट <http://bastar.gov.in> पर उपलब्ध रहेगा।
15. आवेदकों का चयन मैरिट के आधार पर किया जावेगा। व चयनित उम्मीदवार के पद ग्रहण नहीं करने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में से मैरिट अंक के आधार पर चयन किया जायेगा।
16. आवेदन पत्र पीएमश्री शाला कार्यालय प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला केशापुर विकासखण्ड दरभा, जिला - बस्तर (छ0ग0) पिन कोड - 494442 के पते पर प्रेषित करना होगा। विज्ञापित पद हेतु आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 28/10/2025 को कार्यालयीन समय 4:00 बजे तक होगी। आवेदन के साथ दो लिफाफा जिसमें 10-10 रु0 के टिकट सहित वर्तमान पता स्पष्ट होना चाहिए व आवेदक स्वयं सम्बंधित संस्था हेतु कार्यालयीन समयावधि (अवकाश दिनों का छोड़ते हुए) में उपस्थित होकर आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। नियत तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
17. विज्ञापन की विस्तृत एवं अद्यतन जानकारी हेतु बस्तर जिले के अधिकारिक वेबसाईट <https://bastar.gov.in> का नियमित अवलोकन करते रहें।

प्रधान पाठक
शा.प्रा.शाला केशापुर
विकासखण्ड दरभा
जिला - बस्तर

10/10/2025

कार्यालय प्रधान पाठक पीएमश्री प्राथमिक शाला केशापुर, विकासखण्ड दरभा
जिला – बस्तर (छ0ग0)

क्र./ 213 / पीएमश्री / संगीत प्रशिक्षक / 2025

केशापुर, दिनांक 10./10./2025

प्रेस विज्ञप्ति

राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छ.ग. रायपुर के पत्र क्र./1978/समग्र शिक्षा/पीएम श्री योजना/2025 दिनांक 26.06.2025 एवं पत्र क्र./3018/ समग्र शिक्षा/पीएम श्री योजना/2025 रायपुर दिनांक 08.08.2025 एवं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा माध्यमिक जिला – बस्तर के पत्र क्रमांक/ 21460 दिनांक 09.09.2025 के अनुसार समग्र शिक्षा के अन्तर्गत पीएमश्री योजना के तहत पीएमश्री प्राथमिक शाला केशापुर विकासखण्ड दरभा, जिला – बस्तर (छ0ग0) में 01 संगीत प्रशिक्षक की सेवाए लिया जाना है। जिसमें न्यूनतम मानदेय राशि प्रतिमाह 10000.00 शब्दों में रु (दस हजार रु.) मात्र । प्रदाय किया जावेगा। उक्त कार्य हेतु पात्रता की शर्तें एवं आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं संबंधी विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है :-

1. वेतन विवरण/शैक्षणिक अहर्तायें का विवरण निम्नानुसार है :-

विद्यालय का नाम	पद का नाम	पद संख्या	निर्धारित मानदेय	अनिवार्य न्यूनतम योग्यता
पीएमश्री शा.प्रा.शा. केशापुर विकासखण्ड दरभा जिला बस्तर	संगीत प्रशिक्षक	01	10000 / – एकमुश्त	न्यूनतम योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संगीत में स्नातक की डिग्री या समकक्ष डिग्री।

नियम एवं शर्तें :-

- उम्मीदवारों को समग्र शिक्षा द्वारा स्वीकृत अवधि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए ही अस्थायी रूप से रखा जायेगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् संबंधितों की सेवाएं स्वतः समाप्त हो जायेगी। अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं कर सकेगा।
- आवेदक को छ.ग. का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभवी को प्राथमिकता दिया जावेगा।
- चयन उपरान्त उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
- कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को विज्ञापन वापस लेने/चयन प्रक्रिया को रद्द करने के साथ ही उपरोक्त कार्य अवधि में कार्य संतुष्ट नहीं पाये जाने की स्थिति में एवं किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को कार्य से पृथक करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा। इस स्थिति में किसी भी प्रकार का आवेदन/अपील विचारणीय व मान्य नहीं होगा। विवाद होने पर निर्णय का संपूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा।
- आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही प्रमाण पत्रों की छाया प्रति स्पष्ट होनी चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किये जायेगें।
- आवेदक की आयु 01 जनवरी 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना 01 जनवरी 2025 की स्थिति में की जायेगी। आयु की पुष्टि हेतु उचित प्रमाण-पत्र (कक्षा 10वीं की अंकसूची) संलग्न करना अनिवार्य होगा। शासन के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान होगा। छूट प्रमाणीकरण के लिए सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।

—:नोट शीट:—

कार्यालय प्रधान पाठक
पीएमश्री शा.प्रा.शा.केशापुर
विकासखण्ड दरभा, जिला बस्तर

प्रभारी अधिकारी —श्री संतोष कुमार तिग्गा (प्र.पा.)
शाखा प्रभारी — कु. पुष्पा दिवान (सहा.शिक्षिका)
टीप पत्र क्रं० —

विषय:— पीएमश्री योजना 2025-26 के अन्तर्गत विद्यालयों में मानदेय पर **Music Instructor** के सेवाएं के सम्बंध में।

प्रस्तुत,

दिनांक...10./10./2025

कृपया व्यवस्थाधीन पत्र **Flag (A)** का अवलोकन करने का कष्ट करेंगे। समग्र शिक्षा के अन्तर्गत पीएमश्री योजना के तहत शाला में संगीत प्रशिक्षक की सेवाएं लिये जाने हेतु प्राप्त स्वीकृति के तहत शाला स्तर पर संगीत प्रशिक्षक के चयन किया जाना है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र०	शाला का नाम	संगीत प्रशिक्षक हेतु स्वीकृत संख्या	प्रति शिक्षकों हेतु प्रतिमाह अधिकतम वेतन राशि रु.	कुल 03 माह हेतु वेतन राशि रु.	रिमार्क
1	पीएमश्री शा.प्रा.शा.केशापुर विकासखण्ड दरभा जिला बस्तर (छ.ग.)	01	10000	30000	

संगीत प्रशिक्षक की सेवाएं शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु लिया जाना है। तथा संगीत प्रशिक्षकों के चयन उपरान्त मानदेय प्रतिमाह 10000/- रुपये दिया जाना है तथा मानदेय राज्य कार्यालय द्वारा शालाओं को आबंटित किया जायेगा। संगीत प्रशिक्षक के चयन की प्रक्रिया हेतु विद्यालय स्तर पर समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

- विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी — अध्यक्ष
- खण्ड स्रोत समन्वयक. — सदस्य
- प्राचार्य — सदस्य
- प्रधान पाठक — सदस्य
- संगीत शिक्षक. — सदस्य

संगीत प्रशिक्षक चयन प्रक्रिया के परिपालन में शासकीय नियमानुसार इच्छुक आवेदकों से प्राप्त आवेदन के आधार पर विद्यालय स्तर पर गठित चयन समिति के माध्यम से उक्त पद पर चयन किया जावेगा।

उपरोक्तानुसार संस्था में संगीत प्रशिक्षक के सेवाएं लिये जाने हेतु समिति गठित किये जाने व विज्ञापन प्रकाशित करने एवं चयन संबंधित आगामी कार्यवाही किये जाने हेतु अनुमोदनार्थ/स्वीकृतार्थ सादर प्रस्तुत है।

जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधान पाठक



प्रधान अध्यक्ष
समग्र शिक्षा पी.एम.श्री
प्रा.शा.केशापुर

कोड-221524/10002
वि.ख.दरभा जिला बस्तर (छ.ग.)

शाखा प्रभारी

